न्यायमूर्ति जितेंद्र चौहान के समक्ष

जगदीश सिंह गरचा- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2013 का आरएसए नंबर 3742

02 नवंबर 2018

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872-धारा 128-प्रतिभूति की देयता-सार्वजनिक नीलामी-भुगतान के लिए याचिका प्रतिभूति-भुगतान करने में विफल-प्रतिभूति उत्तरदायी-राज्य को अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन में या अनुबंध में दी गई नियत तारीखों पर अनुबंध धन के भुगतान में चूक के मामले में जुर्माना लगाने और अनुबंध को समाप्त करने की शक्तियां दी गई हैं-सरकार द्वारा कार्रवाई में देरी के परिणामस्वरूप प्रतिभूति का निर्वहन नहीं हो सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य को अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन में या अनुबंध के धन के देय तिथियों पर भुगतान में चूक के मामले में अनुबंध को समाप्त करने और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि अनुबंध के खंड 16 में प्रदान किया गया है, हालांकि, उसी समय, अनुबंध में यह प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार अनुबंध धन की किसी भी किस्त या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो राशि का भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 15% की दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जा सकता है।

(पैरा 12)

अपीलकर्ता के लिए सुमित महाजन, वरिष्ठ अधिवक्ता और अमित कोहर, अधिवक्ता। (दोनों अपीलों में)

-सौरभ गिरधर, एएजी, हरियाणा।

बी.एस. सेवक, वकील, प्रतिवादी क्रमांक 4 से 7 के लिए (2013 के आरएसए क्रमांक 3742 में) प्रतिवादी क्रमांक 4 से 6 के लिए (2013 के आरएसए क्रमांक 3752 में)

अनिल क्षेत्रपाल, न्यायमूर्ति

(1) 31.10.2018 को दलीलें सुनी गईं और फैसला सुरक्षित रखा गया। फैसला जारी किया जा रहा है.

(2) इस निर्णय से, 2013 की आरएसए संख्या 3742 और 3752 वाली ये दो अपीलें निपटा दी जाएंगी।

(3) यद्यपि, दोनों अपीलें अलग-अलग वादों से उत्पन्न हो रही हैं, तथापि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि जिन मुद्दों के निर्धारण की आवश्यकता है वे सामान्य हैं। वास्तव में, 2013 के RSA No.3742 में भी तर्कों को संबोधित किया गया था। अतः तथ्य 2013 के आरएसए संख्या. 3742 से लिए जा रहे हैं।

(4) विधि का सारवान प्रश्न जिसके निर्धारण की आवश्यकता है, निम्नानुसार हैः -

1. क्या किसी प्रतिभूति को केवल इस आधार पर दायित्व से मुक्त किया जा सकता है कि सरकार ने प्रमुख देनदार के खिलाफ तेजी से कार्रवाई नहीं की?

(5) निर्विवाद तथ्य यह है कि एक सार्वजनिक नीलामी में, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में लघु खनिजों को निकालने के लिए खदानों का अनुबंध दिया गया था। वादी-अपीलार्थी जमानत पर खड़ा हुआ और चूक की गई राशि, यदि कोई हो, के लिए खुद को उत्तरदायी बनाया। वादी ने सरकार, प्रतिवादी संख्या 4-भारतीय धातु निगम, ठेकेदार के बीच किए गए अनुबंध/अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ठेकेदार को प्रतिभूति जमा करने और अनुबंधित राशि का भुगतान किश्तों में करने की आवश्यकता थी। समझौते के खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार अनुबंध राशि की किसी भी किस्त या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो राशि 15% ब्याज के साथ देय होगी। समझौते के प्रासंगिक खंड निम्नानुसार निकाले गए हैंः -

"**16. गलती के लिए सजा**

अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन में या नियत तिथियों पर अनुबंध राशि के भुगतान में चूक के मामले में, अनुबंध को सरकार या इसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा एक महीने का नोटिस देकर, प्रतिभूति जमा की जब्ती और अग्रिम भुगतान की गई किस्त, यदि कोई हो, के साथ समाप्त किया जा सकता है। ठेकेदार अनुबंध की समाप्ति के आदेश की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर संबंधित खनन अधिकारी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को खदान/खदान का कब्जा सौंप देंगे।

18. भूमि राजस्व के बकाया के रूप में अनुबंध धन की वसूली

अनुबंध के संबंध में अनुबंध राशि के रूप में ठेकेदारों से देय कोई भी राशि उनसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

28. सरकार से प्राप्त धन की वसूली

इस अनुबंध में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त करार और करार के अनुसरण में ठेकेदार और प्रतिभूति आगे यह करार करते हैं कि यदि ठेकेदार इन उपहारों के तहत अनुबंध राशि के भुगतान में चूक करेगा, जिसमें उस पर कोई ब्याज भी शामिल है, तो उस तारीख को जिस पर वह देय होगा या देय होगा, तो संपूर्ण बकाया अनुबंध राशि और ब्याज का भुगतान ठेकेदार और प्रतिभूति द्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग किया जाएगा। सरकार ठेकेदार या मुचलकेदार से उसी की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होगी, भले ही सरकार ने ठेकेदार के खिलाफ अपने सभी या किसी भी उपाय को अपनाया हो। "

(6) यह विवाद में नहीं है कि ठेकेदार ने मासिक किस्त के भुगतान में चूक की है। ठेकेदार को विभिन्न नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन चूंकि भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए अंततः ठेकेदार को दिनांक 30.10.1989 के आदेश द्वारा पर्याप्त अवसर देने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिए गए और खदान का कब्जा ले लिया गया। प्रतिवादी नंबर. 4, ठेकेदार द्वारा कुछ राशि जमा की गई थी। इसके बाद, शेष राशि ठेकेदार के साथ-साथ वादी, मुचलकेदार से वसूल करने की मांग की गई, जब वादी ने अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री के लिए यह मुकदमा दायर किया, जिसमें सरकार को अनुबंधित राशि की वसूली के लिए सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से अपनी संपत्ति को बेचना बंद करने का निर्देश दिया गया था।

(7) दोनों न्यायालयों ने साक्ष्य की सराहना करने के बाद, वादी द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया है। हालाँकि, विद्वत विचारण न्यायालय ने निर्देश दिया है कि पहली बार में, राशि प्रमुख देनदार से वसूल की जाए। यदि यह उससे वसूली योग्य नहीं है, तो सरकार वादी के मुचलकेदार से राशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(8) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अनुबंध के खंड 18 के अनुसार, अनुबंध धन के बकाया की वसूली केवल ठेकेदार से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है। उन्होंने अनुबंध के खंड 18 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि शुरू की गई कार्यवाही कानून की पवित्रता के बिना है। उन्होंने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128,133,135,139,141 और 145 का उल्लेख करते हुए आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि अनुबंध की शर्तों को बदल दिया गया है/बदल दिया गया है, इसलिए वादी-अपीलार्थी को आरोपमुक्त कर दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार ने अनुबंध को तुरंत रद्द कर दिया होता, एक बार यह पाया गया कि 01.12.1988 को किस्त का भुगतान नहीं किया गया है, तो चूक की गई राशि ठेकेदार द्वारा दी गई प्रतिभूति की राशि से वसूल की जा सकती है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने में सरकार की ओर से देरी समझौते की शर्तों को बदलने के बराबर है और इसलिए, प्रतिभूति का निर्वहन किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि जमानतदार को कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अब राशि की वसूली का जमानतदार का अधिकार खो गया है और इसलिए, अपील स्वीकार की जानी चाहिए।

(9) सुविधा के लिए, अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 128,133,135,139,141 और 145 निम्नलिखित रूप में निकाली गई हैं: -

"128. प्रतिभूति का दायित्वः-प्रतिभूति का दायित्व प्रमुख देनदार के साथ सह-व्यापक है, जब तक कि यह अनुबंध द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है।

133. अनुबंध के संदर्भ में भिन्नता द्वारा जमानत का निर्वहनः-मूलधन [देनदार] और लेनदार के बीच अनुबंध के संदर्भ में, जमानतदार की सहमति के बिना किया गया कोई भी भिन्नता, भिन्नता के बाद के लेनदेन के रूप में जमानत का निर्वहन करती है।

135. जब लेनदार प्रमुख देनदार पर मुकदमा नहीं करने के लिए समय देता है या सहमत होता है तो मुचलका का निर्वहनः- लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच एक अनुबंध, जिसके द्वारा लेनदार मुख्य देनदार के साथ समझौता करता है, या उसे समय देने का वादा करता है, या उस पर मुकदमा नहीं करता है, जमानत का निर्वहन करता है, जब तक कि जमानतदार इस तरह के अनुबंध को मंजूरी नहीं देता है।

139. लेनदार के कार्य या चूक द्वारा जमानत का निर्वहन जो जमानत के अंतिम उपचार को बाधित करता हैः- यदि लेनदार कोई ऐसा कार्य करता है जो जमानत के अधिकार के साथ असंगत है, या कोई ऐसा कार्य करने से चूक जाता है जो जमानत के प्रति उसका कर्तव्य उसे करने की आवश्यकता होती है, और मुख्य देनदार के खिलाफ खुद जमानत का अंतिम उपचार इस प्रकार बाधित हो जाता है, तो जमानत का निर्वहन किया जाता है।

141. प्रतिभूति का लेनदार की प्रतिभूतियों के लाभ का अधिकारः-एक प्रतिभूति प्रत्येक प्रतिभूति के लाभ का हकदार है जो प्रतिभूति का अनुबंध किए जाने के समय प्रधान देनदार के खिलाफ लेनदार के पास है, क्या प्रतिभूति को ऐसी प्रतिभूति के अस्तित्व के बारे में पता है या नहीं; और यदि लेनदार हार जाता है, या, प्रतिभूति की सहमति के बिना, ऐसी प्रतिभूति के साथ भाग, प्रतिभूति को प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक छोड़ दिया जाता है।

145. प्रतिभूति की क्षतिपूर्ति करने का निहित वादाः-प्रतिभूति के प्रत्येक अनुबंध में प्रधान देनदार द्वारा प्रतिभूति की क्षतिपूर्ति करने का एक निहित वादा होता है; और प्रतिभूति प्रमुख देनदार से गारंटी के तहत जो भी राशि उसने सही ढंग से भुगतान की है, उसकी वसूली करने का हकदार है, लेकिन ऐसी कोई राशि नहीं जो उसने गलत तरीके से भुगतान की हो। "

(10) जहां तक विद्वत वकील के पहले तर्क का संबंध है, यह स्पष्ट है कि राशि की वसूली करने का सरकार का अधिकार ठेकेदार के साथ और अनुबंध के खंड 28 के अनुसार सह-व्यापक है। सरकार ठेकेदार और मुचलकेदार से संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से राशि की वसूली करने की हकदार है। अतः विद्वत वकील के इस तर्क में कोई सार नहीं है कि भूमि राजस्व की बकाया राशि केवल ठेकेदार से ही वसूल की जा सकती है। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील इस पहलू पर नीचे दिए गए न्यायालयों के समक्ष की गई ऐसी किसी प्रस्तुति की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। हालाँकि, किसी भी मामले में, इस न्यायालय ने विद्वान वकील को तर्क उठाने की अनुमति दी है, लेकिन इसमें कोई सार नहीं पाया है।

(11) अनुबंध अधिनियम की धारा 128 के प्रावधानों के अनुसार, प्रतिभूति का दायित्व प्रमुख देनदार के साथ सह-व्यापक है, जब तक कि यह अनुबंध में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में, विद्वत वकील किसी भी खंड की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका जो मुचलके के दायित्व को प्रमुख देनदार के दायित्व के साथ सह-व्यापक नहीं बनाता है। यह विवाद में नहीं है कि अनुबंध पर स्वयं मुचलकेदार-अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

(12) विद्वान वकील के अगले तर्क पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और अस्वीकार किया जाना चाहिए। अनुबंध को पूरी तरह से पढ़ना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य को अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन में या अनुबंध के धन के भुगतान में अनुबंध के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना लगाने और अनुबंध को समाप्त करने की शक्तियां दी गई हैं, जैसा कि अनुबंध के खंड 16 में प्रदान किया गया है, हालांकि, उसी समय, अनुबंध में यह प्रावधान किया गया है कि यदि ठेकेदार अनुबंध धन की किसी भी किस्त या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो राशि का भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 15% की दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जा सकता है। समझौते के खंड 2 में निम्नलिखित प्रावधान हैंः -

"**2. विलंबित भुगतान के लिए रुचि**

यदि ठेकेदार सरकार को देय अनुबंध राशि की किसी किस्त या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है; अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत उस तारीख को उद्योग निदेशक की लिखित अनुमति के बिना, वे ऐसी राशि का भुगतान होने तक प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। बशर्ते कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, यदि राशि का भुगतान सात दिनों के भीतर किया जाता है। "

(13) इसलिए, सरकार द्वारा कार्रवाई में देरी के परिणामस्वरूप जमानत का निर्वहन नहीं हो सकता है। वास्तव में, विद्वत वकील का अगला तर्क भी उपरोक्त विलम्ब पर निर्भर है, जो इस न्यायालय की सुविचारित राय में, प्रतिभूति के निर्वहन में परिणाम नहीं देता है क्योंकि यह अनुबंध अधिनियम की धारा 133 में प्रदान किए गए अनुबंध के संदर्भ में परिवर्तन के बराबर नहीं है। अनुबंध अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट अनुबंध की शर्तों में भिन्नता/परिवर्तन इस संदर्भ में होना चाहिए कि अनुबंध की शर्तों में कुछ परिवर्तन मुचलकेदार की सहमति के बिना किए गए हैं। केवल इसलिए कि डिफ़ॉल्ट रूप से तुरंत, अनुबंध को समाप्त नहीं किया गया है, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन के बराबर नहीं है। इसके अलावा, अनुबंध की शर्तों में कोई बदलाव इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया है। सरकार ने ठेकेदार को विभिन्न नोटिस जारी करते समय राशि का भुगतान करने का अवसर दिया। इस तरह की सूचनाओं के परिणामस्वरूप मूल अनुबंध की शर्तों में बदलाव नहीं होता है। इन नोटिसों के माध्यम से ठेकेदार को राशि का भुगतान करने का अवसर दिया गया था।

(14) अपीलार्थी के लिए विद्वत वकील का अगला तर्क अनुबंध अधिनियम की धारा 135 पर आधारित है कि जब भी लेनदार मुख्य देनदार के साथ समझौता करता है, या उसे समय देने का वादा करता है, या उस पर मुकदमा नहीं करता है, तो मुचलका खारिज कर दिया जाता है। वर्तमान मामले में, न तो लेनदार और प्रमुख देनदार के बीच कोई संयोजन है और न ही प्रमुख देनदार पर मुकदमा करने के लिए समय देने या न करने का कोई वादा है। इसलिए, जमानत का भुगतान नहीं होता है।

(15) विद्वत वकील का अगला तर्क अनुबंध अधिनियम की धारा 139 के संदर्भ में है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि यदि लेनदार ने कोई ऐसा कदम उठाया है जो प्रतिभूति के अधिकार के साथ असंगत है, या कोई ऐसा कदम उठाने में चूक करता है जो उसे उठाने के लिए बाध्य करता है और प्रतिभूति उससे ऐसा करने की अपेक्षा करती है और इसके परिणामस्वरूप प्रधान देनदार के विरुद्ध प्रतिभूति का उपचार बाधित हो जाता है, तो प्रतिभूति निर्वहन कर दी जाएगी। वर्तमान मामले में, वादी-अपीलकर्ता लेनदार के किसी भी कार्य को साबित करने में विफल रहा है जो मुचलके के अधिकार के साथ असंगत है। अनुबंध अधिनियम की धारा 139 को लागू करने से पहले, दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, एक, लेनदार को एक ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जो किसी भी कार्य को करने के लिए जमानत या चूक के अधिकार के साथ असंगत है जो जमानत के प्रति उसका कर्तव्य है और दूसरा, प्रमुख देनदार के खिलाफ जमानत का अंतिम उपाय इस प्रकार बाधित होता है। वर्तमान मामले में, उपरोक्त धारा के दो भागों में से कोई भी लागू नहीं होता है।

(16) विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि जमानतदार को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई है।

(17) ठेकेदार को भेजे गए आधिकारिक संचार के अनुसार, इसकी प्रति भी मुचलकेदार को भेजी गई थी, हालांकि, डीडब्ल्यू 1-दीपक कुमार के बयान को पढ़ते हुए विद्वान वकील ने कहा है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि मुचलकेदार को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि एक बार जब जमानत का दायित्व सह-व्यापक हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमानतदार को पूर्व सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

(18) विद्वत वकील का अगला तर्क अनुबंध अधिनियम की धारा 141 और 145 के संदर्भ में है। विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि राशि की वसूली के लिए जमानत का अधिकार खो गया है और यहां तक कि सरकार के पास उपलब्ध प्रतिभूति राशि भी खो गई है। विस्तृत जानकारी देते हुए, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि सरकार ने तुरंत/तेजी से कार्रवाई की होती, तो चूक की राशि प्रतिभूति की राशि से

वसूल की जा सकती थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उचित समय पर कार्रवाई करने में विफलता के परिणामस्वरूप जमानत का निर्वहन किया गया है।

(19) इस न्यायालय ने इस निवेदन पर विचार किया है।

(20) यह वादी का मामला नहीं है कि ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति की राशि को वसूली प्रमाणपत्र जारी करने से पहले समायोजित नहीं किया गया है। इसलिए सुरक्षा नहीं गंवाई गई है। इसके अलावा, एक बार अनुबंध में यह विशेष रूप से प्रदान किया जाता है कि किस्त की राशि सरकार द्वारा वसूल की जा सकती है या ठेकेदार द्वारा ब्याज के साथ भुगतान किया जा सकता है, अनुबंध अधिनियम की धारा 141 का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

(21) जहां तक संविदा अधिनियम की धारा 145 के संदर्भ में विद्वत वकील के अंतिम तर्क का संबंध है कि मूलधन से रकम वसूलने का प्रतिभूति का अधिकार समाप्त हो गया है, वह भी आधारहीन है क्योंकि मूलधन देनदार/ठेकेदार से रकम वसूलने का कारण प्रतिभूति के पक्ष में उत्पन्न होगा, केवल जमानतदार द्वारा जमा किए जाने पर, ठेकेदार/मूलधन देनदार के स्थान पर राशि, इसलिए, प्रतिभूति का अधिकार समाप्त नहीं होता है।

(22) यह न्यायालय इस तथ्य से अवगत है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से आदेश दिया है कि ठेकेदार से राशि की वसूली के लिए पहला प्रयास किया जाए और उसके बाद ही मुचलकेदार यानी वादी के खिलाफ कदम उठाए जाएं। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, ऐसा निर्देश अनुबंध की भावना और अनुबंध अधिनियम की धारा 128 के प्रावधान के खिलाफ है। हालाँकि, चूंकि हरियाणा राज्य ने या तो पहली अपील या दूसरी अपील दायर नहीं की थी, इसलिए यह न्यायालय निचली अदालत के उपरोक्त निर्देशों को संशोधित नहीं करने का विकल्प चुनता है।

(23) उपर्युक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, पहले बनाई गई विधि के प्रश्न का उत्तर वर्तमान मामले के तथ्यों में अपीलार्थी के विरुद्ध दिया जाता है। इसलिए, दोनों अपीलों को 1,00,000/- रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

(24) उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, सभी लंबित विविध आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा